बिहार सरकार ने JP सेनानियों की पेंशन दोगुनी की

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार ने **जयप्रकाश (JP) आंदोलन** सेनानियों के लिये पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। ये वे व्यक्ति हैं, जिन्हें आपातकाल (1975-77) के दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन (1974) का समर्थन करने पर कारावास में डाला गया था।

- यह कदम, इन सेनानियों के संघर्ष एवं बिहार के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नोट: 5 जून, 2025 को जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान की 51वीं वर्षगाँठ मनाई गई, जिसे **JP आंदोलन** के रूप में भी जाना जाता है। यह आह्वान 5 जून,1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था।

मुख्य बिंदु

- **पेंशन में वृद्धि:**
  - छह माह से अधिक अवधि तक जेल में रहने वाले सेनानियों को अब **15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000** रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
  - जिन लोगों को छह माह तक जेल में रहना पड़ा, उनकी पेंशन **7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000** रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी।
  - पेंशनभोगी की **मृत्यु की स्थिति में उनके जीवित पति या पत्नी को** भी समान पेंशन राशि प्राप्त होगी।
- **जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना**
  - यह समायोजन ***[illegible]*** के अंतर्गत आता है, जिसे वर्ष 2009 में मुख्यमंत्री **नीतीश कुमार** द्वारा प्रारंभ किया गया था।
  - इस योजना का नाम प्रतिष्ठित समाजवादी नेता **लोकनायक जयप्रकाश नारायण** के नाम पर रखा गया है।
  - **लाभार्थी:** वर्तमान में (2025 तक) बिहार में 3,354 व्यक्ति यह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पात्र होने के बावजूद कभी इसका लाभ नहीं लिया।
  - इस योजना के उल्लेखनीय लाभार्थियों में **लालू प्रसाद यादव** (बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री) और **सुशील कुमार मोदी** (बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री) भी शामिल हैं।
  - **पात्रता की शर्तें:**
    - **भागीदारी की अवधि:** 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक।
    - लाभार्थियों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) या भारत रक्षा नियम (DIR) के तहत कारावास भोगना आवश्यक।
  - **अवधि श्रेणियाँ:**
    - **श्रेणी 1:** 1 से 6 माह का कारावास।
    - **श्रेणी 2:** 6 माह से अधिक का कारावास।
  - **अतिरिक्त लाभ:** पात्र व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाती है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

- **स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना** वर्ष 1972 में फ्रीडम फाइटर्स पेंशन स्कीम के रूप में प्रारम्भ हुई थी तथा अगस्त 1980 में इसका नाम बदलकर इसे उदारीकृत कर दिया गया।
- **केंद्रीय गृह मंत्रालय** द्वारा प्रशासित यह योजना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **कुल लाभार्थी (अब तक):** 1,71,689 स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रित।
- **वर्तमान सक्रिय पेंशनभोगी (जुलाई 2025 तक):** 13,212 जीवित स्वतंत्रता सेनानी।
- **पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएँ:** 9,778।
- **वार्षिक बजट (2024-25):** 600 करोड़ रुपए।

- **कवरेज:**
  - **समय अवधि:** वर्ष 1857 से 1947 के मध्य हुए आंदोलनों में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी।
  - **मान्यता प्राप्त आंदोलन:** इसमें 40 प्रमुख आंदोलन सम्मलिति हैं, जनिमें **भारत छोड़ो आंदोलन, जलयिांवाला बाग** जैसी घटनाएँ शामलि हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-government-doubles-pension-for-jp-senanis